

11/03/24

पत्रावली पेश हुई। नकील धार्य उपर। वकील-
धार्य ने प्राणन बाबत इजराय प्राणन को
होप करने बाबत पेश कर निवेदन किया
कि न्यायालय के निर्णय व डिब्री की पालना

में नामान्तरण संख्या 1965 दिनांक
12/10/2023 को दर्ज की गई है। अतः उक्त प्राणन
में अद्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के
कारण इजराय प्राणन खारिज किये जाने के
आदेश फलित। पत्रावली व प्रस्तुत प्राणन
के संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन कर

न्यायालय यह पाता है कि निर्णय व
डिब्री की पालना में नामान्तरण एन्रीटर
किया जा चुका है अतः बाद में कोई
कार्यवाही शेष नहीं है। अतः उक्त प्राणन
के पालना पूर्ण हो जाने से बाद खारिज
किया जाता है। पत्रावली के शेष शुभा

दोस्त, दर्ज. रजिस्टर व नम्बर ५५
दोस्त दाखिल दफ्तर है। निर्णय
आज दिनांक 11/03/24 को सुले

न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

न्यायाधीश
शहर प्रथम